



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-529/NH-44/Water/2025-26/ 2117

Date: 06.10.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of MP/MH Border to Nagpur (including Kamptee Kanhan Bypass) from km 652.000 to km 729.000 & km 14.585 to km 36.600 section of NH-44 in the State of Maharashtra –**Laying of water supply pipeline between km 18.765 to km 34.140 & crossing at km 20.200 -Reg.**

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 2724 dated 26.09.2025.
2. CE, Maharashtra Airport Development Co. Ltd. letter no. 540-X dated 11.07.2025.

It is to inform all concern that M/s Maharashtra Airport Development Co. Ltd. letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that Maharashtra Airport Development Co. Ltd. is as follows:

- Laying of water supply pipeline from km 18.765 to km 34.140
- 1 no of crossing at km 20.200.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

मम 31/3
82/10/25

(निमल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-529/NH-44/जल/2025-26/ 2117

दिनांक: 06.10.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा को नागपुर तक चार लेन का बनाना (कैम्पटी सहित) महाराष्ट्र राज्य में एनएच-44 के 652.000 किमी से 729.000 किमी और 14.585 किमी से 36.600 किमी खंड पर कन्हान बाईपाम) - 18.765 किमी से 34.140 किमी के बीच जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाना और 20.200 किमी पर क्रॉसिंग - रेग।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 2724 दिनांक 26.09.2025.

2. सीई, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पत्र संख्या 540-एक्स दिनांक 11.07.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने मध्यम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:

- किमी 18.765 से किमी 34.140 तक जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- किमी 20.200 पर 1 क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एम एंड आर (आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल ,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

मंडली
06/10/25

(निर्मल एम साडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन , एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने के लिए।